

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2019


जयपुर, दिनांक : 06.02.2019

आदेश

सेवारत कोटे से सीपीएस कोर्स कर रहे निम्नांकित अधिकारियों का बकाया एवं आगामी वेतन उपस्थिति के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानों से उपलब्ध रिक्त पदों से अग्रिम आदेशों तक आहरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-


क. सं	सेवारत कोटे से सीपीएस अध्ययनरत चिकित्सक का नाम	वेतन आहरित किये जाने वाले चिकित्सा संस्थान का नाम
1	डा. अनिरुद्ध सिंह, चिकित्सा अधिकारी	जिला चिकित्सालय, पाली
2	डा. प्रदीप राज सिंह, चिकित्सा अधिकारी	जिला चिकित्सालय, राजसमन्द
3	डा. धीरज बंसल, चिकित्सा अधिकारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर के अधीन

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(पारस चन्द जैन)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
2. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर/उदयपुर/भरतपुर
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, पाली/राजसमन्द
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर
6. संबंधित अधिकारी
7. कम्प्यूटर सेल/निजी/रक्षित पत्रावली
8. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश आज ही विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करावें।

  
(ओ. पी. वर्मा)  
शासन सहायक सचिव